न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :–अपूर्वा परवाल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 348 / 2019

प्रार्थी :–

1. श्रीमती बबली बेवा स्वर्गीय श्री सीताराम जी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
2. सुनिल पुत्र स्वर्गीय श्री सीतारामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
3. विजेश पुत्र स्वर्गीय श्री सीतारामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
4. श्रीमती किनकी पुत्री स्वर्गीय श्री सीतारामजी पत्नी श्री गोविन्द, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवास ससुराल भगवान महावीर कॉलोनी, हड्डी मिल, नेशनल हण्डलूम गोदारम के पास, शास्त्री नगर, जोधपुर।
5. श्रीमती सुन्दरी पुत्री स्वर्गीय श्री सीतारामजी पत्नी श्री सुरेन्द्र, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवास ससुराल – भीलां की ढाणी, गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. श्रीमती अनिता पुत्री स्वर्गीय श्री सीतारामजी पत्नी स्वर्गीय श्री समारामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर। हाल निवास ससुराल – गांव बाण्डाई, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. फताराम पुत्र श्री अर्जुनरामजी, कौम – भील, निवासी– 103, भीलां का वास, भादरिया, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर हाल जोधपुर।

प्रफोमा पक्षकार :–

2. लालाराम पुत्र श्री जसारामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
3. स्वर्गीय बंशीलाल पुत्र श्री जसारामजी के कायम मुकामान :–

3/1. श्रीमती सीता पत्नी स्वर्गीय श्री बंशीलाल,

3/2. भोमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल,
जातियान– भील, निवासीयान– बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।

4. बाबुलाल, पुत्र श्री जसारामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
5. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाबरामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
6. चतराराम पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाबरामजी, कौम – भील, निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

जोधपुर।
7. बालकिशन पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाबरामजी कौम – भील निवासी गांव बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर।
8. श्रीमती जसकी बेवा स्वर्गीय श्री गुलाबरामजी कौम – भील निवासी– गांव बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

पार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा – 151 सी.पी.सी.
विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 28.07.2020

दिनांक 13/01/2021

– आदेश –

उपस्थिति –
1. पार्थी वकील श्री रामसुख शर्मा, श्री राकेश शर्मा, श्री रवीन्द्र मेघवाल
2. अपार्थी वकील श्री पूनाराम विश्नोई
3. अपार्थी संख्या 2,4,8 वकील श्री बी.आर. विश्नोई

अपार्थी संख्या–1 (वादी) ने एक बंटवाडे का वाद प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसके तथ्य यह है कि अपार्थी संख्या –1(वादी) ने वाद में उल्लेखित किया कि खसरा संख्या 61 की कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर मे स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) एवं प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के संयुक्त खातेदारी की है। सह खातेदार मोहनराम, रावतराम पुत्र तिलारम श्रीमती पुनी पत्नी तिलारम एवम् मोहनराम पुत्र तिलारान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 10.04.2017 को नरसिंगराम पुत्र रतनारम भील को बेचान कर दिया, जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 935 स्वीकार कर जमीन को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दया। सह खातेदार पिन्नू देवी पुत्री री कालूराम ने अपना हिस्सा भी नरसिंगराम पुत्र रतनाराम को बेचान कर दी, जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 836 स्वीकार कर दिया। नरसिंगराम का स्वर्गवास हो गया उसके बाद नरसिंगराम कीपत्नी सायरी पत्नी नरसिंगराम के नाम जमीन का म्यूटेशन कर दिया, जिसके मयूटेशन संख्या 837 है श्रीमती सायरी ने अपनी सारी जमीन अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) को बेचान कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) के मयूटेशन स्वीकार रि दिया, जिसके म्यूटेशन संख्या 838 है। इस प्रकार जमीन के खातेदार मालिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 एवम् प्रफोर्मा पक्षकार रह गये। अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सह खातेदारो की बंटवाडा करवाने बाबत कहा तो इंकार हो गये। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) को बंटवाडा का वाद पेश करना पडा। दावे के नोटिस प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को तामिल नहीं हुए। उसके बावजूद नोटिस सम्मन तामील मान कर न्यायालय ने दिनांक 28.7.2020 को एक पक्षीय निर्णय कर दावे को निर्णय एवम् डिक्री फरमाकर प्राथमिक डिक्री प्रार्थीगण के खिलाफ पारित कर दी। प्रार्थीगण को दावे के नोटिस सम्मन तामील नहीं हुए है। इस वजह से प्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थीगण के नोटिस सम्मन की नकल प्राप्त करनेसे प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के सम्मन नेटिस किसी बालकिशन नामक व्यक्ति को दिये गये। बालकिशन कौन है? इसके पिता का नाम क्या है? यह कहा पर रहता है, इसका तामिल रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं दिया है। बालकिशन नामक व्यक्ति प्रार्थीगण के परिवार का सदस्य नही है, न ही प्रार्थीगण के साथ निवास करता है ना ही कोई भाई भतीजा है। प्रार्थीगण को वैध रूप से कोई सम्मन नोटिस तामील नहीं हुये है। बालकिशन नामक व्यक्ति को प्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिये गये, जो किसी आधार पर वैध तामील नहीं है। प्रार्थीगण के नोटिस सम्मन मानकर प्रार्थीगण के खिलाफ जो एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी, जो किसी भी आधार पर वैध नहीं है। एक पक्षीय कार्यवाही एवम् एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री काबिल अपास्त करने योग्य है, जो काबिल अपास्त करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) ने दावे में प्रार्थीगण संख्या 4 से 6 के पंजीयन पते ही दावे मे नहीं लिखे। गलत पते पर भेजने से तामील होने का

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

प्रश्न नही पैदा नही होता। नोटिस सम्मन मे दावे की प्रति संलग्न होन का उल्लेख नही है। दावे की प्रति नहीं भेजना नोटिस की वैध तामील नहीं है, इस तामील नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर दिनांक 8.7.2020 को एक पक्षीय आदेश एवं डिक्री दिनांक 28.7.2020 का एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री का अपास्त फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थीगण के हक में हो सादिर फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2,4 व 6 से 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वकालातनामा रेकर्ड पर नहीं लेकर दिनांक 8.7.2020 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करना एवं दिनांक 28.7.2020 को एक पक्षीय डिक्री करना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1–6 के तथ्य सही होने से स्वीकार किये गये। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता दिनांक 8.7.2020 को मान्य न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण में 1080/17 तुलच्छाराम बनाम लावूराम मे भी उपस्थित हुए थ, तथा हस्तगत प्रकरण में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण की आर से प्रस्तुत वकालतनामा पत्रावली के साथ संलग्न नहीं होने पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। एवं जवाब हेतु अवसर चाहा गया। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की। वादग्रस्त कृषि भूमि अनुसूचित जन–जाति व्यक्तियों की हैं धारा 41 व 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त कृषि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा हैं जिसकी जानकारी न्यायालय हाजा को हे। वादग्रस्त कृषि भूमि मूल खातेदार के आममुख्त्यारों के आधार पर हस्तांतरित की गई है, उक्त हस्तांतरण पूर्णतया शून्य एव अवैध हैं जिसे शून्य एवं अवैध घोषित करवाने का वाद माननीय अपर सेशन न्यायालय संख्या 4 जोधपुर महानगर में विचारधीन है। उक्त समस्त तथ्यों को रेकर्ड पर लाया जाना आवश्यक है जिस हेतु अप्रार्थीगणों को समुचित जवावदावें का अवसर दिया जाकर दस्तावेज व सक्षम साक्ष्य उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक एवं तर्क संगत होगा जिससे पक्षकारान् के साथ वास्तविक एवं तार्किक न्याय हो पायेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एकतरफा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.7.2020 को अपास्त कर प्रकरण में अप्रार्थीगणों को जवाव, दस्तावेज एवं समुचित साक्ष्य का अवसर दिया जाकर प्रकरण को मैरिट पर गुणावगुण निस्तारित फरमावे।

प्रतिवादी बेबली वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का वादी फताराम की ओर से जवाव पेश किया गया जो इस प्रकार है :– वादी फताराम द्वारा माननीय न्यायालय में राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा नं. 61 कुल रकवा 6 वीघा 9 विस्वा में वादी रेकर्डेड सह खातेदार है तथा उक्त सह खातेदारी भूमि में वादी का अपनी 4 वीघा 11 विस्वा व 9.357 बिस्वांसी भूमि का खाता अलग दर्ज करने का निवेदन किया। वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादीगण को सर्वप्रथम साधारण नोटिस से तलव किया गयां उक्त नोटिस लोटकर नहीं आने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण को रजि. ए.डी. नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को रजि. ए.डी नोटिस भी लोटकर नहीं आये इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 8.7.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई तत्पश्चात् पत्रावली में कोई जवावदावा नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार कर दिनांक 28.7.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्रार्थीगण सभी को वादी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से रजि. ए.डी. नोटिस भेजे गये थे तथा रजि. ए.डी. नोटिस जारी होने के उपरान्त 30 दिन तक कोई नोटिस लोटकर नहीं आता है तो उन्हे सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार कानूनन तामील ही माना जायेगा। प्रार्थीगण को इस वाद की पूर्ण जानकारी थी उन्हे विधिवत नोटिस भी प्राप्त हुए थे। वादी का वाद केवल धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। वादी रेकर्डेड सह खातेदार है जो जमावन्दी से स्पष्ट है तथा कानूनन उन्हे बंटवाड़ा करवाने का अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कोई तथ्य अंकित नहीं किये है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.7.2020 से उनके किस प्रकार हित प्रभावित हुए है। वादी द्वारा अपनी खरीद सुदा खातेदारी की भूमि के संबंध में बंटवाडे की इस्तदुआ चाही है। प्रार्थीगण के पिता सीताराम के हिस्से के सम्बंध में वादी ने इस वाद में कोई अनुतोश नहीं चाहा है इस कारण प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.7.2020 से किसी प्रकार का खातेदारी अधिकारों के संबंध में हित प्रभावित नहीं हुआ है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा – 151 सी.पी.सी विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 28.7.2020 का जवाबुलजवाब वादी / अप्रार्थी के जवाब प्रार्थनापत्र का प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण द्वारा दिया गया।

प्रार्थी वकील व अप्रार्थी संख्या 1 वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 / 1, 3 / 2, 9 के विरूद्ध एकपक्षयी कार्यवाही की गयी। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 8 अनुपस्थित रहे। उपस्थित पक्षकारान् प्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी संख्या 1 के वकील की प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्रो के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद संख्या 348 / 19 वास्ते बंटवाडे हेतु पेश किया गया। जिसमे प्रार्थी को सम्मन तामिल नही हुए। प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 4 से 9) को सम्मन सामान्य डाक द्वारा भेजे गए जिसे बालकिशन नामक व्यक्ति ने प्राप्त किये जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं। उसके पश्चात् रजिस्टर्ड ए.डी से भेजे गए जिसकी पावती न्यायालय में प्राप्त हुए बिना ही सम्मन तामिल मान लिये गये। प्रार्थी संख्या 4 से 6 के पंजीयन पते आधार कार्ड में जो वर्णित है उससे अलग जगह सम्मन तामिल किये गये जिससे प्रार्थी संख्या 4–6 को कभी सम्मन तामिल ही नही हुए। इसके अलावा वाद में अन्य प्रतिवादी बंशीलाल व धीसकी की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके हैं जिसके पश्चात् उनके भी सम्मन तामिल शुदा माने गए। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि सम्मन तामिल नही होने की वजह से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे की प्रकिया मे भाग नही ले पाने से प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही एवम् एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस मे निवेदन किया गया कि ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर मे स्थित खसरे संख्या 61 मे अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड सह खातेदार है व उक्त खसरे में अपने हिस्से अनुसार 4 बीघा 11 बिस्वा 9.357 बिस्वांशी भूमि का अलग खाता दर्ज कराने हेतु बंटवाडे का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। वाद में सर्वप्रथम प्रतिवादीगणो को साधारण नोटिस भेजे गये थे। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भेजे गये जिसकी रसीदे न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी से सम्मन को जारी करने के 30 दिन पश्चात् सम्मन लौटकर प्राप्त नही होने से सी.पी.सी के प्रावधानो के अनुसार सम्मन को तामिल माना गया। प्रार्थीगणों को भूमि जिस ग्राम में स्थित है वहां के पते पर रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन जारी की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी संख्या 4 से 6 के वर्तमान पते अलग बताए गऐ परन्तु प्रार्थी संख्या 1 से 3 के आधार कार्ड पर भी वही पते लिखे है जहां रजिस्टर्ड ए.डी की गई। जिससे माना जा सकता है कि प्रार्थीगणो को दावे की सम्पूर्ण जानकारी थी। अन्य प्रतिवादी बंशीलाल व धीसकी की मृत्यु का जैसे ही अधिवक्ता को जानकारी में आया तब उनके द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) द्वारा प्रस्तुत वाद सिर्फ धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का है। वादी रिकॉर्डेड सह खातेदार है व वाद में हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को लेकर कोई आपत्ति नही की गई। प्रार्थीगण को विधिवत सम्मन तामिल हुए है व वाद की पूरी जानकारी थी परन्तु न्यायिक प्रकिया को लम्बा करने की मंशा से प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कही यह स्पष्ट नहीं किया कि वाद की जानकारी कब व कैसे हुई। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय मे पेश नहीं हुए है ना ही प्रार्थीगण द्वारा यह बताया गया कि प्राथमिक डिक्री द्वारा किस प्रकार उसके हित प्रभावित होते है। प्रार्थीगण द्वारा वाद संख्या 50 / 2020 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि व पक्षकार समान है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण बंटवाड़ा करवाने के इच्छुक नही है बल्कि न्यायिक प्रकिया को लम्बित करना चाहते है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में न्यायालय मे पैरवी की जा रही है जिसके समय भी उन्हे वाद की सम्पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अपने समर्थन में निम्नलिखित कानूनी धारा व न्यायिक सिद्धान्त पेश किये गये :–

1. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 धारा 27

" डाक द्वारा तामील का अर्थ – जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई (केन्द्रीय अधिनियम) या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे "तामील" अथवा "देना" या "भेजना", इन

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

दोनो मे से किसी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक मे भेजने में तामील हुई समझी जाएगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझाा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह डाक के मामूली अनुक्रम मे परिदत्त हो जाता।'

2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1906, आदेश 5 नियम 9 ए (5) Priviso

"Provided that where the summons was properly addressed, pre-paid and duly sent by registered post acknowledgment due, the declaration referred to in this sub-rule shall be made notwithstanding the fact that the acknowledgment having been lost or mislaid, or for any other reason, has not been received by the Court within thirty days from the date of issue of summons.

3 CCC 2014 (2) पेज 679 Rajasthan High Court

(i) Civil Procedure Code, O.9 R.13- Ex parte Decree- Setting aside- No court shall set aside a decree passed ex- parte merely on the ground that there had been an irregularity in service of summons, if the court was satisfied that defendant has notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer plaintiff's claim.

4 CCC 2019 (2) पेज 89 Allahabad High Court

Civil Procedure Code 1908, O.9.R.13 – Ex- parte decree- setting aside- Service of summons – Sunnons duly served- Burden is on defendant to prove that summons in fact does not contain his signature or that it bears his forged signatures- It was the burden of defendant to lead positive evidence to prove that summon does not bear his signature like, producing report of handwriting expert comparing signatures on summons with his admitted signatures- Dismissal of application by holding that defendant was sufficiently served but failed to contest the proceedings calls for no interference.

5 CCC 2014 (2) पेज 480 Rajasthan High Court

Civil Procedure Code, 1908, O.9R.13 – Ex parte decree- Setting aside- Defendant deliberately concealed the material facts from Court- Court below having verified the record and recording the conduct of defendant had rightly rejected the application of appellants.

6 CCC 2014 (Suppl:) पेज 821 CALCUTTA High Court

(i) Civil Procedure Code, 1908, O.9 R.13- Ex parte Decree- Setting aside- Defendant not coming to Court with clean hands- Defendant coming up with certain incorrect and frivolous statements, one contradicting the other and the truth of one statement being belied by the other statement- conduct of defendant has not beenan honest one- He has failed to come withclean hands. Not to speak of clean heart- Dismissal of application- Calls for no interference.

निर्णय

हमने प्रस्तुत पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व न्यायिक उद्धरणों का अध्ययन कर विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 का उल्लेख किया जाता है –

" प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना – किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिये आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा। जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि वह केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नही की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।"

उक्त नियम को मध्येनजर रखते हुए न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर विचार किया गया कि क्या सम्मन तामिल सम्यक रूप से नहीं की गई थी व क्या प्रार्थीगणों को सुनवाई की तारीख की सूचना थी व क्या प्रार्थीगणों को पारित की गई प्राथमिक डिक्री से कोई हित प्रभावित होते है। प्रार्थीगण को वाद के अन्तर्गत सर्वप्रथम सामान्य डाक से सम्मन जारी हुए व उसके पश्चात् रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 (वादी) द्वारा डाक रसीदे पेश की गई जिसके अनुसार रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन दिनांक 21.2.2020 को जारी किये गये। सम्मन जारी करने के 30 दिन पश्चात् भी सही पते पर भेजे हुए सम्मन लौटकर प्राप्त नहीं होने से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 ए (5) के प्रावधान के अनुसार सम्मन की तामिल विधिवत मानी गई व दिनांक 8.7.2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति की गई कि प्रार्थी संख्या 4 व 6 का वर्तमान पता सम्मन पर वर्णित पते से अलग है जिससे उनको सम्मन तामिल ही नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि जमाबन्दी अनुसार खसरा जिस भूमि में स्थित है उसी पते पर रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा गया व प्रार्थी संख्या 1 से 3 के आधार कार्ड में भी वही पता लिखित है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 व 4 से 6 सगे भाई बहन है व उनका एक ही अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। जिससे यह माना जा सकता है कि प्रार्थी संख्या 1 से 3 को विधिवत तामिल होने से प्रार्थीगणों को दावे की सम्पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188 व 212 का भी इसी भूमि के लिये पेश किया गया है जिसकी पैरवी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की जाती है। इस समय भी प्रार्थीगण अधिवक्ता को वाद की पूर्ण जानकारी थी। वाद के बारे में प्रार्थीगण को कब व कैसे जानकारी हुई इसका कोई उल्लेख नहीं है। न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 से सहमति रखता है। जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से विवादित नहीं है। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि प्राथमिक डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव से प्रार्थीगण को क्या आपत्ति है जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई व ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि प्रार्थीगण पर वाद के अन्तर्गत पारित की गई प्राथमिक डिक्री से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अप्रार्थी संख्या 2,4 व 9 ने अपने जवाब में सम्मन तामिल होना स्वीकार किया है जिससे उनका प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत कोई अनुतोष देय नहीं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार व सभी तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 खारिज फरमाया जाता है।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 13/1/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर